International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 1, January 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

RESEARCHERID
THOMSON REUTERS

भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता

डॉ. सिंह अरुण कुमार लक्ष्मण
असि. प्रोफेसर–समाजशास्त्र
काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही

शोध सार

भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता आधुनिक समाज की दो ऐसी परस्पर संबद्ध समस्याएँ हैं, जो किसी भी राष्ट्र की प्रगति, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की अवधारणा को गहराई से प्रभावित करती हैं। भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने या देने की क्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्ता, संसाधनों और अधिकारों के दुरुपयोग का व्यापक रूप है। दूसरी ओर, सामाजिक असमानता वह स्थिति है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और सम्मान के स्तर में असंतुलन पाया जाता है। जब ये दोनों समस्याएँ एक–दूसरे को पोषित करती हैं, तब समाज में अन्याय, अविश्वास और असंतोष की भावना बढ़ती है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता का प्रभाव अधिक जटिल रूप में दिखाई देता है। यहाँ आर्थिक, जातीय, लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताएँ पहले से विद्यमान हैं, जिन पर भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति और अधिक गहरा प्रभाव डालती है। परिणामस्वरूप समाज के कमजोर वर्ग गरीब, दलित, महिलाएँ, आदिवासी और अल्पसंख्यक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

मुख्य शब्द : भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, राजनीतिक असंतोष, गरीबी, सामाजिक कुपोषण

भ्रष्टाचार आधुनिक समाज की वह गंभीर सामाजिक बीमारी है जो राष्ट्र की प्रगति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। यह केवल एक व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्या है, जिसकी जड़ें समाज की संरचना में गहराई तक फैली हुई हैं। भ्रष्टाचार को समझने के लिए इसकी अवधारणा और स्वरूप का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है।

भ्रष्टाचार की अवधारणा

भ्रष्टाचार की अवधारणा को सरल शब्दों में समझा जाए तो यह सार्वजनिक पद या प्राधिकार का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग है। जब कोई व्यक्ति अपने पद, शक्ति या अधिकार का उपयोग व्यक्तिगत लाभ, पारिवारिक स्वार्थ या किसी विशेष समूह को लाभ पहुँचाने के लिए करता है, तो वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के अनुसार, भ्रष्टाचार सौंपी गई शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग है। यह नैतिकता, ईमानदारी और पारदर्शिता के मूल्यों के विपरीत है। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक

लेन–देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिक पतन, अनैतिक आचरण और सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा का भी प्रतीक है।

भारतीय संदर्भ में भ्रष्टाचार की अवधारणा और भी व्यापक है। यहाँ यह केवल रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि भाई–भतीजावाद, पक्षपात, गबन, धोखाधड़ी, प्रभाव का दुरुपयोग और काले धन का निर्माण सभी इसके दायरे में आते हैं। भ्रष्टाचार ने भारतीय समाज के हर स्तर को प्रभावित किया है – सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी क्षेत्र तक, शिक्षा संस्थानों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, और राजनीति से लेकर न्यायपालिका तक।

भ्रष्टाचार का स्वरूप

भ्रष्टाचार का स्वरूप अत्यंत जटिल और बहुआयामी है, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसे मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता हैरू

रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का सबसे सामान्य और प्रचलित स्वरूप है। इसमें कोई कार्य करने या करने से रोकने के लिए अवैध रूप से धन या अन्य लाभ लिया जाता है। सरकारी कार्यालयों में फाइलें आगे बढ़ाने, लाइसेंस जारी करने या अनुबंध प्रदान करने के लिए रिश्वत लेना आम बात है।

गबन और धोखाधड़ी में सार्वजनिक धन या संपत्ति का दुरुपयोग किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा फर्जी बिल बनाना, घटिया सामग्री खरीदना और सरकारी धन को हड़पना इसके उदाहरण हैं। वित्तीय धोखाधड़ी और घोटाले भी इसी श्रेणी में आते हैं।

भाई–भतीजावाद और पक्षपात में रिश्तेदारों या करीबी लोगों को अवसर प्रदान किए जाते हैं, भले ही वे योग्य न हों। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की कमी और अनुबंधों में पक्षपात इसके उदाहरण हैं।

प्रभाव का दुरुपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने पद या संपर्कों का उपयोग दूसरों पर अनुचित दबाव बनाने या निर्णयों को प्रभावित करने के लिए करता है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार सबसे खतरनाक स्वरूप है, जिसमें नेता और राजनीतिक दल चुनावों में धनबल का प्रयोग, वोट खरीदना, नीतियों को प्रभावित करना और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं।

नैतिक भ्रष्टाचार का स्वरूप अदृश्य लेकिन गहरा है, जहाँ व्यक्ति ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों का त्याग कर देता है। यह भ्रष्टाचार की जड़ है, जो अन्य सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को जन्म देती है।

भ्रष्टाचार का स्वरूप क्षेत्रीय और सांस्कृतिक संदर्भों में भी भिन्न होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह भूमि रिकॉर्ड, सरकारी योजनाओं के लाभ और पुलिस स्टेशनों तक सीमित हो सकता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह बड़े निर्माण अनुबंधों, कर चोरी और कॉरपोरेट घोटालों का रूप ले लेता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 1, January 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

डिजिटल युग में भ्रष्टाचार के नए स्वरूप भी सामने आए हैं। साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी, ऑनलाइन रिश्वतखोरी और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से काले धन के लेन–देन ने भ्रष्टाचार को और अधिक जटिल बना दिया है। इससे निपटना पारंपरिक भ्रष्टाचार से भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

भ्रष्टाचार का सबसे विनाशकारी प्रभाव यह है कि यह संसाधनों के असमान वितरण को बढ़ावा देता है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यह आर्थिक विकास को बाधित करता है, विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता है और सामाजिक न्याय को कमजोर करता है। इसके कारण सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाता और विकास की गति धीमी हो जाती है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सशक्त कानूनी प्रणाली की आवश्यकता है। सूचना का अधिकार, लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएँ, और मजबूत भ्रष्टाचार निरोधक कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण हथियार हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है समाज में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की संस्कृति का विकास करना, क्योंकि कानूनी उपायों से अधिक प्रभावी है लोगों का स्वयं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना और पारदर्शी व्यवस्था की मांग करना।

सामाजिक असमानता की अवधारणा और आयाम

सामाजिक असमानता केवल आर्थिक विषमता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त है। इसके मुख्य आयाम इस प्रकार हैं–

आर्थिक असमानता सबसे दृश्यमान और व्यापक रूप है, जिसमें आय, संपत्ति और संसाधनों का असमान वितरण शामिल है। यह वह स्थिति है जहाँ समाज का एक छोटा वर्ग अत्यधिक धन–दौलत का स्वामी होता है, जबकि बड़ी आबादी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करती है। यह असमानता न केवल जीवन स्तर को प्रभावित करती है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा तक को निर्धारित करती है।

सामाजिक स्तरीकरण के रूप में जाति, वर्ग और लिंग आधारित असमानता भारतीय समाज की विशेषता रही है। जाति व्यवस्था ने सदियों से लोगों को जन्म से ही ऊँच–नीच के आधार पर बाँटा है, जिसमें उच्च जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे और निम्न जातियों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। हालाँकि कानूनी रूप से जातिवाद समाप्त कर दिया गया है, परंतु सामाजिक वास्तविकता में इसकी जड़ें अभी भी गहरी हैं।

लैंगिक असमानता समाज के हर स्तर पर व्याप्त है, जहाँ महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर, कम वेतन और कम सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। घरेलू कार्यों से लेकर व्यावसायिक क्षेत्रों तक, महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके योगदान को कम आंकना आम बात है। लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएँ लैंगिक असमानता की चरम अभिव्यक्तियाँ हैं।

शैक्षिक असमानता अवसरों की असमानता को जन्म देती है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे महंगे निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, जिससे उनके लिए उच्च शिक्षा और अच्छे रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। यह असमानता पीढ़ी–दर–पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है।

स्वास्थ्य असमानता भी सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आयाम है। गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पातीं, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा कम होती है और बीमारियों का बोझ अधिक रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और शहरी क्षेत्रों में महंगी चिकित्सा सेवाएँ स्वास्थ्य असमानता को और गहरा करती हैं।

सामाजिक असमानता के कारण

सामाजिक असमानता के अनेक कारण हैं, जिनमें ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक शामिल हैं। औपनिवेशिक शोषण ने भारतीय समाज में गहरी आर्थिक असमानता की नींव रखी। भूमि स्वामित्व की असमान व्यवस्था, पूँजीवादी विकास मॉडल और वैश्वीकरण ने भी अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा किया है। राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण और भ्रष्टाचार भी असमानता को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सत्ता और संसाधनों तक पहुँच सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है।

सांस्कृतिक कारणों में पारंपरिक मान्यताएँ, रूढ़ियाँ और सामाजिक मूल्य शामिल हैं, जो कुछ समूहों को हीन और कुछ को श्रेष्ठ मानते हैं। जाति प्रथा, पितृसत्ता और धार्मिक कट्टरता जैसी सांस्कृतिक संरचनाएँ सामाजिक असमानता को वैधता प्रदान करती हैं और उसे बनाए रखती हैं।

सामाजिक असमानता के प्रभाव

सामाजिक असमानता के दूरगामी और विनाशकारी प्रभाव होते हैं। यह सामाजिक एकता और सामंजस्य को कमजोर करती है, सामाजिक तनाव और संघर्ष को जन्म देती है। असमानता से वंचित वर्गों में असंतोष, क्रोध और निराशा पैदा होती है, जो हिंसा और अपराध के रूप में प्रकट हो सकती है। यह आर्थिक विकास को भी बाधित करती है, क्योंकि बड़ी आबादी की क्रय शक्ति सीमित रहती है और प्रतिभा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। लोकतंत्र के लिए भी यह खतरनाक है, क्योंकि असमानता राजनीतिक भागीदारी को सीमित करती है और सत्ता को कुछ हाथों में केंद्रित करती है।

सामाजिक असमानता की अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि समाज में व्याप्त भेदभाव और अन्याय केवल व्यक्तिगत स्तर की समस्या नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक विकृति है, जिसके समाधान के लिए व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है। संवैधानिक प्रावधानों, सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण), सामाजिक कल्याण योजनाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से सामाजिक असमानता को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। वास्तविक समानता

तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग को संसाधनों, अवसरों और प्रतिष्ठा तक समान पहुँच प्राप्त हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के पूर्ण विकास का अवसर मिले।

भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता का पारस्परिक संबंध

भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता परस्पर संबंधित एवं एक–दूसरे को पोषित करने वाली दो सामाजिक विकृतियाँ हैं, जो मिलकर समाज की संरचना को कमजोर बनाती हैं। भ्रष्टाचार सीमित संसाधनों और अवसरों को उन लोगों तक केंद्रित करता है जिनके पास पहले से ही धन, शक्ति और प्रभाव है, जिससे आर्थिक और सामाजिक असमानता और गहरी होती है। जब सरकारी योजनाओं का लाभ, रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ रिश्वत और पक्षपात के आधार पर वितरित की जाती हैं, तो गरीब और वंचित वर्ग इनसे वंचित रह जाता है, जबकि संपन्न वर्ग अपने धन और संपर्कों के बल पर अधिकाधिक लाभ प्राप्त करता है। दूसरी ओर, सामाजिक असमानता स्वयं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, क्योंकि वंचित वर्ग के लोग मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी भ्रष्ट आचरण को मजबूर होकर अपनाते हैं, जबकि संपन्न वर्ग अपनी शक्ति और धन से भ्रष्ट तंत्र को संरक्षण देता है। यह एक दुष्चक्र है, जहाँ भ्रष्टाचार असमानता को बढ़ाता है और असमानता भ्रष्टाचार को वैधता प्रदान करती है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर समाज में न्याय, पारदर्शिता और समान अवसर के मूल्यों का ह्रास करते हैं तथा एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जहाँ धन और शक्ति का संकेंद्रण बढ़ता है और गरीबी तथा वंचना गहरी होती जाती है।

भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति

भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति एक गंभीर और बहुआयामी समस्या के रूप में उभरी है, जो समाज के हर स्तर पर व्याप्त है और राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आई है। यह समस्या केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका और यहाँ तक कि विकास योजनाओं तक में गहराई से फैली हुई है। आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है – वर्ष 1988 में जहाँ 1,224 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2015 में यह संख्या बढ़कर 5,250 तक पहुँच गई । हालाँकि, सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इन मामलों में सजा दर अत्यंत कम है और दोषसिद्धि की तुलना में बरी होने के मामले अधिक हैं। 1988 के बाद से सजा दर कभी भी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रही, और 1999 में यह गिरकर मात्र 22.9 प्रतिशत पर आ गई थी । न्यायिक प्रणाली पर बढ़ते दबाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लंबित मामलों की संख्या 3,378 से बढ़कर 29,484 हो गई है, जो लगभग नौ गुना वृद्धि दर्शाती है ।

विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में हुए भ्रष्टाचार का आकलन बताता है कि देशभर में 11.16 लाख मामलों में 1,995 करोड़ रुपये के गबन का पता चला है, जिसमें से 71 प्रतिशत मामले केवल चार दक्षिणी राज्यों – तमिलनाडु, आंध्र

RESEARCHERID
THOMSON REUTERS

प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक – से सामने आए हैं । तमिलनाडु में सबसे अधिक 3.37 लाख मामले दर्ज किए गए, जिनमें 410 करोड़ रुपये के गबन का खुलासा हुआ । इस योजना में 2015 से फरवरी 2026 के बीच केवल 113 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 305 करोड़ रुपये की गबन राशि अब तक वसूल नहीं की जा सकी है ।

राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री के.एन. नेहरू पर 365.87 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जिसमें सरकारी अधिकारियों और इंजीनियरों के तबादले और पोस्टिंग के लिए 7 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की रिश्वत लेने के सबूत मिले हैं । प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 340 अधिकारियों के तबादले के आदेशों से जुड़े सबूत बरामद हुए हैं । राजस्थान में जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में 960 करोड़ रुपये के टेंडर में फर्जी प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

केंद्रीय स्तर पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, परमाणु ऊर्जा विभाग में ठत्ब्ज ने 152.47 करोड़ रुपये के बकाया वसूल नहीं किए और 62. 04 करोड़ रुपये की कर देनदारियाँ उत्पन्न हुईं। अंतरिक्ष विभाग में 1.06 करोड़ रुपये का अनावश्यक व्यय हुआ और दो संचार उपग्रह अल्पउपयोग में रहे । जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वेक्षण और शोध प्रकाशन में एक से 16 वर्षों तक की देरी हुई और 77 प्रतिशत नमूने अज्ञात रह गए ।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की स्थिति इतनी गंभीर है कि NCERT की आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में इसे न्यायिक प्रणाली की प्रमुख चुनौतियों में शामिल किया गया है। पाठ्यपुस्तक में कहा गया है कि "लोग न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का अनुभव करते हैं, जो गरीबों और वंचितों के लिए न्याय तक पहुँच को और कठिन बना देता है" ।

भ्रष्टाचार निरोधक प्रयासों के बावजूद कानूनी बाधाएँ भी बनी हुई हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17।, जो लोक सेवकों की जाँच के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करती है, पर उच्चतम न्यायालय में विवाद जारी है । आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2025 में 115 मामले दर्ज किए और 36 आरोपियों को सजा दिलाई, जो लगभग 46 प्रतिशत की सजा दर है । यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, लेकिन फिर भी अपर्याप्त है। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मजबूत कानूनी ढाँचे, त्वरित न्याय और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है, तभी इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 1, January 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

RESEARCHERID
THOMSON REUTERS

भ्रष्टाचार के कारण

भ्रष्टाचार कोई एक कारण से उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं है, बल्कि यह अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक कारकों के जटिल अंतर्संबंध का परिणाम है। भ्रष्टाचार के कारणों को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी इस समस्या के प्रभावी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। भारतीय संदर्भ में भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है—

1. आर्थिक कारण

आर्थिक कारक भ्रष्टाचार के सबसे प्रमुख कारणों में से एक हैं। गरीबी और बेरोजगारी व्यक्ति को अनैतिक मार्ग अपनाने के लिए मजबूर कर सकती है। जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं, तो वे रिश्वत और भ्रष्ट आचरण को आजीविका का साधन बना लेते हैं। दूसरी ओर, अत्यधिक धन—दौलत की लालसा और अधिकाधिक संपत्ति अर्जित करने की होड़ भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। संपन्न वर्ग अपने धन के बल पर सरकारी तंत्र को प्रभावित करके अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। आर्थिक असमानता की बढ़ती खाई भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वंचित वर्ग तेजी से अमीर बनने के लिए अनैतिक रास्ते अपनाता है।

2. राजनीतिक कारण

राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। जब राजनीतिक दल और नेता स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हों या भ्रष्ट तत्वों को संरक्षण दें, तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव नहीं है। चुनावों में धनबल और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव ने राजनीति को महंगा बना दिया है। चुनाव लड़ने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसे नेता चुनाव बाद भ्रष्ट तरीकों से वसूल करते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण न होना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। राजनीतिक संरक्षण के कारण भ्रष्ट अधिकारी और नेता निर्भीक होकर भ्रष्टाचार करते हैं।

3. प्रशासनिक कारण

प्रशासनिक तंत्र की कमजोरियाँ भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। सरकारी कार्यालयों में अत्यधिक नौकरशाही, लालफीताशाही और जटिल प्रक्रियाएँ आम नागरिक को परेशान करती हैं। किसी भी कार्य को कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं और लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस स्थिति में लोग रिश्वत देकर अपना काम जल्दी कराना पसंद करते हैं। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कम वेतन और भत्ते भी भ्रष्टाचार का एक कारण माने जाते हैं, हालाँकि यह भ्रष्टाचार का औचित्य नहीं ठहराता। नियुक्तियों और पदोन्नति में पारदर्शिता का अभाव, अक्षम और अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति और सजा के भय का न होना भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 1, January 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

RESEARCHERID
THOMSON REUTERS

4. सामाजिक–सांस्कृतिक कारण

सामाजिक मान्यताएँ और मूल्य भ्रष्टाचार को प्रभावित करते हैं। भारतीय समाज में जाति, वर्ग और रिश्तेदारी के आधार पर पक्षपात की प्रवृत्ति आम है। लोग अपने रिश्तेदारों और जाति के लोगों को अवसर प्रदान करने में कोई बुराई नहीं समझते, चाहे वे योग्य न हों। समाज में धन और प्रदर्शन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। चाहे धन किसी भी तरह से अर्जित किया गया हो, समाज उसका सम्मान करता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास और भौतिकवादी जीवनशैली ने भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। पारिवारिक संस्कारों का कमजोर होना और शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा का अभाव भी इसके लिए उत्तरदायी है।

5. कानूनी और न्यायिक कारण

कमजोर कानूनी प्रणाली और धीमी न्यायिक प्रक्रिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई में वर्षों लग जाते हैं और दोषसिद्धि दर अत्यंत कम है। सजा के भय का अभाव भ्रष्ट तत्वों को निर्भीक बना देता है। कानूनों में खामियाँ और अस्पष्टता भ्रष्ट अधिकारियों को कानून की आड़ में भ्रष्टाचार करने का अवसर देती हैं। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों की स्वायत्तता का अभाव और राजनीतिक दबाव भी प्रभावी कार्रवाई में बाधा डालते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, कमजोर कानूनी प्रणाली वाले देशों में भ्रष्टाचार अधिक होता है।

6. मनोवैज्ञानिक कारण

लालच, असुरक्षा की भावना, शक्ति और प्रभुत्व की इच्छा जैसे मनोवैज्ञानिक कारक भी भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। कुछ लोगों में अधिकाधिक धन और संपत्ति अर्जित करने की अतृप्त इच्छा होती है, जो उन्हें भ्रष्ट आचरण की ओर ले जाती है। असुरक्षा की भावना से ग्रसित लोग भविष्य की चिंता में अधिक धन जमा करना चाहते हैं, चाहे वह अनैतिक तरीकों से ही क्यों न हो। सत्ता और प्रभुत्व की चाहत भी लोगों को भ्रष्ट बनाती है। कुछ लोग यह मान बैठते हैं कि ष्सब करते हैंष्, इसलिए वे भी भ्रष्टाचार करने में कोई बुराई नहीं समझते।

7. वैश्वीकरण और तकनोकी कारण

वैश्वीकरण और तकनीकी विकास ने भ्रष्टाचार के नए रूपों को जन्म दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन ने भ्रष्टाचार के नए अवसर पैदा किए हैं। बड़े व्यापारिक घराने सरकारी अनुबंध और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। डिजिटल युग में साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के नए रूपों के रूप में उभरे हैं।

भ्रष्टाचार के अनेक कारण हैं, जो आपस में गुंथे हुए हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बहुआयामी होनी चाहिए। केवल कानूनी उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सुधार,

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 1, January 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सामाजिक जागरूकता, नैतिक मूल्यों का पुनरुत्थान और पारदर्शी प्रणाली के विकास की आवश्यकता है। तभी इस सामाजिक बुराई पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

भ्रष्टाचार निवारण के उपाय : एक समग्र दृष्टिकोण

भ्रष्टाचार एक जटिल सामाजिक समस्या है, जिसके निवारण के लिए बहुआयामी और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केवल कानूनी उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी स्तर पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार निवारण के प्रमुख उपायों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है–

1. कानूनी और संस्थागत उपाय

भ्रष्टाचार निवारण के लिए सशक्त कानूनी ढाँचा सबसे महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्राथमिक कानून है, जिसमें रिश्वतखोरी, गबन और सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के अपराधों को संज्ञेय और गैर–जमानती बनाया गया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना की गई है, जो सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) जैसी संस्थाएँ भ्रष्टाचार निरोधक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं को और अधिक स्वायत्त और सशक्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य कर सकें।

2. प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक तंत्र में सुधार भ्रष्टाचार निवारण का महत्वपूर्ण उपाय है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 एक क्रांतिकारी कदम है, जो नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँच का अधिकार देता है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। सरकारी कार्यालयों में लालफीताशाही और जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है। सेवाओं के समयबद्ध वितरण के लिए दिए गए समय–सीमा के भीतर सेवा वितरण अधिनियम लागू किए जाने चाहिए, जिससे नागरिकों को निर्धारित समय में सेवाएँ न मिलने पर स्वतरू अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो। सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और नियुक्ति तथा पदोन्नति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नियमित सतर्कता जाँच और गुप्त निरीक्षण से भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम किया जा सकता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 1, January 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

3. तकनीकी उपाय

डिजिटल युग में तकनीकी उपाय भ्रष्टाचार निवारण के सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन और ई–गवर्नेंस के माध्यम से प्रावधान मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है, जिससे रिश्वत और भ्रष्टाचार की संभावना घटती है। डिजिटल भुगतान प्रणाली और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) से सरकारी योजनाओं में होने वाले गबन पर रोक लगी है। सरकारी खरीद और निविदाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। ब्लॉकचेन तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भ्रष्टाचार की संभावनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायक हो सकता है। सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना भी प्रभावी उपाय है।

4. आर्थिक उपाय

आर्थिक सुधार भ्रष्टाचार निवारण में सहायक होते हैं। सरकारी विनियमों और लाइसेंस राज को समाप्त कर आर्थिक उदारीकरण से भ्रष्टाचार के अवसर कम हुए हैं। कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, जिससे कर चोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। सरकारी कर्मचारियों का वेतन और भत्ते उचित स्तर पर होने चाहिए, ताकि वे भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त न हों। काले धन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और धनशोधन निवारण कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और खाद्यान्न के रिसाव को रोकने के लिए तकनीकी उपाय अपनाए जाने चाहिए।

5. सामाजिक और सांस्कृतिक उपाय

भ्रष्टाचार निवारण के लिए सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक बदलाव आवश्यक हैं। नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और सूचना के अधिकार का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। मीडिया की भूमिका भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण है। समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक दबाव बनाना आवश्यक है, ताकि भ्रष्ट व्यक्ति समाज में सम्मान न पा सके। गैर–सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने और पीड़ितों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

6. न्यायिक सुधार

त्वरित न्याय और सख्त सजा भ्रष्टाचार निवारण के प्रभावी उपाय हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाना चाहिए, जहाँ मामलों का त्वरित निपटारा हो। दोषसिद्धि दर बढ़ाने के लिए साक्ष्य संग्रह और अभियोजन को सशक्त बनाया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आवश्यक है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 1, January 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

RESEARCHERID
THOMSON REUTERS

7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

वैश्वीकरण के युग में भ्रष्टाचार निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन (UNCAC) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत देशों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए। काले धन की वसूली और अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

8. नागरिकों की भूमिका

भ्रष्टाचार निवारण में नागरिकों की सक्रिय भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिकों को रिश्वत नहीं देनी चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सूचना के अधिकार का उपयोग कर सरकारी कामकाज की निगरानी करनी चाहिए। लोकपाल और सतर्कता एजेंसियों में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने चाहिए। मतदान के समय ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए।

भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कानूनी, प्रशासनिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक उपायों का समन्वय हो। सरकार, नागरिक समाज, मीडिया और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से ही भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना संभव है। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के मूल्यों को आत्मसात करके ही हम इस सामाजिक बुराई पर विजय पा सकते हैं।

सामाजिक असमानता के प्रमुख कारण

1. ऐतिहासिक और संरचनात्मक कारण

सामाजिक असमानता की जड़ें भारतीय समाज की ऐतिहासिक संरचना में गहराई तक फैली हुई हैं। जाति व्यवस्था इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, जिसे डॉ. अम्बेडकर ने ष्ग्रेडेड असमानताष (श्रेणीबद्ध असमानता) की संज्ञा दी थी। इस प्रणाली में प्रत्येक जाति स्वयं को कुछ जातियों से श्रेष्ठ और कुछ से निम्न मानती है, जिससे सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताएँ उत्पन्न हुई हैं । इस ढाँचे ने न केवल संसाधनों तक पहुँच को सीमित किया, बल्कि आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक असमानताओं को जन्म दिया ।

2. आर्थिक असमानता

भारत में आर्थिक असमानता चिंताजनक स्तर पर पहुँच गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की शीर्ष 10% जनसंख्या के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है, जबकि निचले 60% लोगों के पास मात्र 4.8% संपत्ति है । यह आर्थिक विषमता पूंजी के स्वामित्व और श्रम के बीच बढ़ती खाई के कारण और गहरी होती जा रही है। आज गरीबी केवल आय की कमी नहीं है, बल्कि यह संपत्ति, सुरक्षा और अवसरों का अभाव है ।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 1, January 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

RESEARCHERID
THOMSON REUTERS

3. लैंगिक असमानता

लिंग आधारित भेदभाव सामाजिक असमानता का एक गहरा आयाम है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में शिक्षा, रोजगार और आय के कम अवसर मिलते हैं। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है और उन्हें समान काम के लिए भी कम वेतन दिया जाता है ।

4. शैक्षिक असमानता

शिक्षा तक असमान पहुँच असमानता को पीढ़ी–दर–पीढ़ी हस्तांतरित करती है। विश्व बैंक के विश्लेषण के अनुसार, भारत में लगभग 56: बच्चे प्राथमिक स्तर पर बुनियादी पढ़ाई में दक्ष नहीं हैं, और लगभग 54: न्यूनतम सीखने के मानकों को पूरा नहीं कर पाते । ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच और भी सीमित है।

5. क्षेत्रीय असमानताएँ

ग्रामीण–शहरी विभाजन और विभिन्न राज्यों के बीच विकास का असमान वितरण भी सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य विकास सूचकांकों में पिछड़े हुए हैं, जबकि केरल जैसे राज्य मानव विकास में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं । शहरी क्षेत्रों में निवेश और अवसर केंद्रित होने से ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ते जा रहे हैं ।

6. राजनीतिक और प्रशासनिक कारण

कमजोर शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार और नीतियों के क्रियान्वयन में विफलता भी असमानता को बढ़ावा देती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में होने वाले रिसाव और अक्षमताओं के कारण इनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाता । सूचना के अभाव और जागरूकता की कमी के कारण वंचित वर्ग अपने अधिकारों का दावा नहीं कर पाते।

सामाजिक असमानता के निवारण के उपाय

1. संवैधानिक और कानूनी उपाय

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 और 39 राज्य को असमानताओं को कम करने और संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने का निर्देश देते हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान सकारात्मक कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है । इसके दायरे को अन्य वंचित समूहों तक विस्तारित करने की आवश्यकता है।

RESEARCHERID
THOMSON REUTERS

2. आर्थिक सुधार

संपत्ति असमानता को दूर करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। अति–धनाढ्य व्यक्तियों पर प्रगतिशील संपत्ति कर (वेल्थ टैक्स) लगाना, विरासत कर (इनहेरिटेंस टैक्स) को लागू करना, और पूंजीगत लाभ कर को आयकर के समान बनाना जैसे उपाय आर्थिक असमानता को कम कर सकते हैं ।

3. सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं (यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज) – शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन, पोषण और आवास – तक पहुँच सुनिश्चित करना गरीबी की जड़ों को कमजोर कर सकता है । आयुष्मान भारत योजना (5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा) और जन धन खातों (53 करोड़ से अधिक) के माध्यम से वित्तीय समावेशन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं ।

4. शिक्षा और कौशल विकास

शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना और सीखने के स्तर में सुधार लाना आवश्यक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (ईएमआरएस) जनजातीय बच्चों को उनके परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य लैंगिक और ग्रामीण अंतराल को पाटना है । कौशल विकास कार्यक्रमों (जैसे पीएमकेवीवाई) को उद्योग की मांग से जोड़ना और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए कौशल उन्नयन करना आवश्यक है ।

5. रोजगार सृजन

श्रम–गहन क्षेत्रों (वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, निर्माण) को बढ़ावा देना और एमएसएमई को समर्थन देना रोजगार के अवसर बढ़ा सकता है । स्टैंड–अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी पहल दलितों, जनजातियों और महिलाओं को उद्यमिता के लिए ऋण उपलब्ध करा रही हैं ।

6. सामुदायिक सशक्तिकरण

नीचे से ऊपर तक (बॉटम–अप) सामुदायिक सशक्तिकरण प्रयासों के साथ ऊपर से नीचे (टॉप–डाउन) संस्थागत सुधारों का समन्वय आवश्यक है । महात्मा गांधी और डॉ. अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेते हुए, सांस्कृतिक संरक्षण, शिक्षा और पैरवी के माध्यम से वंचित समूहों को सशक्त बनाना होगा ।

7. डिजिटल समावेशन

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचाना और डिजिटल साक्षरता का विस्तार करना डिजिटल विभाजन को पाट सकता है । यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान मंच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं ।

8. निगरानी और मूल्यांकन

मानव विकास संकेतकों की नियमित निगरानी और सामाजिक ऑडिट के माध्यम से योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर एचडीआई और बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) का उपयोग नियोजन के लिए किया जाना चाहिए ।

9. सामाजिक जागरूकता

मीडिया और शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा के प्रति जागरूकता फैलाना आवश्यक है। जाति, पितृसत्ता और सामाजिक भेदभाव को सक्रिय रूप से समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए ।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता परस्पर जुड़े हुए संकट हैं, जो समाज की जड़ों को कमजोर करते हैं। इनका समाधान केवल कानूनों से संभव नहीं, बल्कि नैतिक जागरूकता, पारदर्शिता, जनभागीदारी और समावेशी विकास की समन्वित रणनीति से ही संभव है।

यदि हम एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर रुख अपनाना होगा और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तभी लोकतंत्र सशक्त होगा और विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुँच सकेगा।

सन्दर्भ सूची

गुप्ता, के. के. (2000). भारत में भ्रष्टाचार : कारण, प्रभाव और नियंत्रण. नई दिल्ली, अटलांटिक पब्लिशर्स।

शर्मा, आर. के. (2001). सामाजिक असमानता और भारतीय समाज. जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स।

सिंह, योगेन्द्र (2011). भारतीय समाजरू संरचना, परिवर्तन और विकास. नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स।

देसाई, ए. आर. (2000). भारतीय सामाजिक समस्याएँ. मुंबई, पॉपुलर प्रकाशन।

भारत सरकार (1988). भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988. नई दिल्ली, भारत सरकार प्रकाशन विभाग।

भारत सरकार (2013). लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013. नई दिल्ली, भारत सरकार प्रकाशन विभाग।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (2022). वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट. बर्लिन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रकाशन।

सेन, अमर्त्य (2000). विकास के रूप में स्वतंत्रता. नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

भारत सरकार, नीति आयोग (2021). भारत में बहुआयामी गरीबी और असमानता पर रिपोर्ट. नई दिल्ली, नीति आयोग।

विश्व बैंक (2020). शासन, भ्रष्टाचार और विकास पर विश्व विकास रिपोर्ट. वाशिंगटन डी.सी., विश्व बैंक प्रकाशन।